

3/यो0संक०-22/2022

98

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश
(संख्या /2025-26)

प्रेषक,

योगेश कुमार सागर भा०प्र०से०,
संयुक्त सचिव,

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक -.....7.8.2025

विषय:-

मुख्यमंत्री सामाजिक सहायता एवं प्रोत्साहन छत्र योजना के अन्तर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्यांश (सामान्य+विशेष+जनजातीय घटक) मद में रु० 241554.00 लाख तथा राज्य योजना (सामान्य+विशेष घटक) मद में रु० 27286.00 लाख अर्थात् कुल रु० 268840.00 लाख (दो हजार छः सौ अठ्ठासी करोड चालीस लाख) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग के ज्ञापांक 5725 दिनांक 27.11.2017 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं, मृत्यु अनुदान योजनाओं, विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना एवं अन्य सामाजिक सहायता योजनाओं का संचालन, मुख्यमंत्री सामाजिक सहायता एवं प्रोत्साहन छत्र योजना के अधीन कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार के संकल्प सं०- 1523 दिनांक-25.06.2025 के द्वारा पेंशन की राशि माह जून 2025 से रु० 400/- एवं रु० 500/- प्रतिमाह से बढ़ाकर रु० 1100/- प्रतिमाह किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना अन्तर्गत कुल रु० 162188.00 लाख (सोलह सौ इक्कीस करोड अठ्ठासी लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०- 81 दिनांक-24.04.2025 के द्वारा प्रदान की गयी है। अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के आलोक में प्रथम अनुपूरक से प्राप्त राज्यांश (सामान्य+विशेष+जनजातीय घटक) मद में रु० 241554.00 लाख तथा राज्य योजना (सामान्य+विशेष घटक) मद में रु० 27286.00 लाख अर्थात् कुल रु० 268840.00 लाख (दो हजार छः सौ अठ्ठासी करोड चालीस लाख) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार दी जाती है-

(राशि रु. लाख में)

क्र०	योजना का नाम	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	पूर्व में स्वीकृत राशि	अतिरिक्त स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6
केन्द्रांश					
1	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना - सामान्य घटक	(51-2235031010201)	0201.13.01, 31.06	80526.00	0.00
2	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना - विशेष घटक	(51-2235037890201)	0201.13.01,31.06	33262.00	0.00
3	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना - जनजातीय क्षेत्र उप योजना	(51-2235037960203)	0203.13.01,31.06	4200.00	0.00
				117988.00	
राज्यांश					
4	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना - सामान्य घटक	(51-2235031010301)	0301.31.06	13000.00	184779.00

5	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना - विशेष घटक	(51-2235037890301)	0301.31.06	22000.00	52833.00
6	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना - जनजातीय क्षेत्र उप योजना	(51-2235037960303)	0303.31.06	900.00	3942.00
योग				35900.00	241554.00
राज्य स्कीम					
7	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना - सामान्य घटक	(51-2235031010101)	0101.31.06	4300.00	23584.00
8	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना - विशेष घटक	(51-2235037890101)	0101.31.06	4000.00	3702.00
योग				8300.00	27286.00
कुल योग : (रु० दो हजार छः सौ अठ्ठासी करोड चालीस लाख)				162188.00	268840.00

2 स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु सामाजिक सुरक्षा निदेशालय (मुख्यालय) स्तर पर निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, जिला स्तर पर सभी सहायक निदेशक/प्रभारी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वितीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक -12888/वि० दिनांक-03.12.2024, 227/वि० दिनांक 28.03.2025, 235/वि० दिनांक 01.04.2025 पत्रांक- 600/वि. दिनांक- 06.08.2025 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

5. स्वीकृत्यादेश पर संचिका संख्या-3/यो०स०क०-22/2022 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या-24/टि० पर दिनांक- 06.08.2025 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो०स०क०-22/2022 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या-25/टि० पर दिनांक- 06.08.2025 को सचिव, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।

7. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन



(योगेश कुमार सागर)

संयुक्त सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

जापांक- 3/यो०स०क०-22/2022

98

/...../दिनांक- 7.8.2025

प्रतिलिपि -महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/संयुक्त सचिव, वित्त विभाग (बजट शाखा)/विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/वरीय प्रशासी पदाधिकारी, सक्षम, अपना घर, बेली रोड, पटना/सभी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



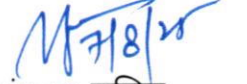
संयुक्त सचिव,

जापांक- 3/यो0संक०-22/2022

१४

/...../दिनांक- 7.8.2025

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

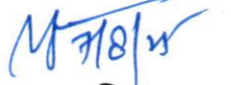

संयुक्त सचिव,

जापांक- 3/यो0संक०-22/2022

१४

/...../दिनांक- 7.8.2025

प्रतिलिपि -विभागीय आई०टी० मैनेजर को सूचनार्थ उक्त स्वीकृत्यादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


संयुक्त सचिव,